Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with*
International Impact Factor 8.357
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2508I8VXIIIP0005

e-ISSN No. 2394-8426
Monthly Issue
AUG-2025
Issue–VIII, Volume–XIII

शीर्षक: महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं का योगदान: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में

श्रीमती गीता चौधरी,
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छ. ग.
Email Id.: geetachoudhary2810@gmail.com

प्रो. मनीष कुमार पाण्डेय,
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छ. ग.
Email Id.: manishpandey4737@gmail.com

शोध सारांश:

इस अध्ययन में सरकारी ग्रामीण विकास योजनाओं द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में लाभान्वित ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, और राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन किया गया है। आधुनिक समय में जब दुनिया के विभिन्न देश विकास की नित्य नई गाथाएं लिख रहे हैं ऐसे में भारत जैसे बहुल संस्कृति वाले देश में लैंगिक समानता लाने एवं महिलाओं को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं का शुभारम्भ किया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में स्पष्ट अंतर देखा जाता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के मध्य इस अंतर को कम करने के उद्देश्य से ही देश की केंद्र एवं विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण महिलाओं को घरों में खाना बनाते समय धुएं से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की योजना बनायीं गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भी राज्य के ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने, सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष, मुख्यमंत्री शीशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार योजना, महिला समृध्दि बाजार योजना इत्यादि योजनायें संचालित हैं। अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण में इन शासकीय विकास योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव रहा है।

शब्द संकेत: *महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, ग्रामीण विकास योजनायें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह, छत्तीसगढ़ महिला कोष, मुख्यमंत्री शीशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार योजना, महिला समृध्दि बाजार योजना।*

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं सिद्धांत:

पिछले कुछ दशकों से, महिला सशक्तिकरण वैश्विक स्तर पर गहन बहस और चिंतन का विषय रहा है। महिला सशक्तिकरण का विषय अधिकांश सरकारी योजनाओं और पहलों की सूची में भी शीर्ष पर रहा है। प्रत्येक देश ने महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नियमित रूप से पहल की है। इस बीच, यह देखा गया है कि ज़्यादातर नीतियाँ और पहल सिर्फ़ आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित होती हैं, और इस धारणा पर चलती हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता आदि जैसे अन्य कारकों के स्तर पर महिलाएँ आर्थिक रूप से ज़्यादा स्वतंत्र हो जाती हैं। मानव प्रगति के इतिहास में, महिलाओं का महत्व पुरुषों के समान ही रहा है। वास्तव में, किसी देश की समग्र सफलता का निर्धारण समाज में महिलाओं की स्थिति, रोज़गार और कामकाज को देखकर किया जा सकता है (महतो, एट. अल. 2023)।

विभिन्न सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तथा उनके कल्याण के लिए भारी निवेश किया जाता है तथा इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि कैसे महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं से मुक्त करने एवं लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के कई तरीके हैं, और बदलते वैश्विक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अब समय आ गया है कि महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को तोड़ा जाए और ऐसे वैकल्पिक कार्यक्रमों की खोज की जाए जो महिलाओं के लिए समान अवसरों और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दें। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मुद्दे वैश्विक एजेंडे में हैं क्योंकि लैंगिक असमानता विभिन्न संस्कृतियों में फैल रही है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में लैंगिक असमानता बढ़ रही है। (यूएन वूमेन एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, 2024)

महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के साथ-साथ उनका सशक्तीकरण और स्वायत्तता अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके अलावा, सतत विकास हासिल करना भी आवश्यक है। सफल एवं उत्पादनपरक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करे के लिए पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की पूर्ण भागीदारी और सहयोग आवश्यक है, जिसमें बच्चों के पालन-पोषण और घर की देखभाल की साझा ज़िम्मेदारी भी शामिल है। अधिकार और प्रभाव की कमी, अत्यधिक कार्यभार और अन्य कारकों के कारण दुनिया भर में महिलाओं का जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण खतरे में है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम औपचारिक शिक्षा मिलती है, लेकिन साथ ही, महिलाओं के अपने कौशल, ज्ञान और समस्याओं का सामना करने की रणनीतियों को कभी-कभी अनदेखा कर दिया जाता है। (यूनाइटेड नेशन्स, 2023)। महिलाओं को स्वस्थ और संतोषजनक जीवन जीने से रोकने वाली शक्ति समाज के सभी क्षेत्रों में मौजूद है। ऐसे में आवश्यक है कि ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाय जो महिलाओं की स्थिर रोजगार और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच बढ़ाएँ, उनके अत्यधिक घरेलू कामों की ज़िम्मेदारियों को कम करें, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी में कानूनी बाधाओं को दूर करें, और जनसंचार माध्यमों और शिक्षा अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाएँ। इसके अलावा, महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने से जीवन के सभी स्तरों और सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से दैहिक एवं प्रजनन के संबंध में, निर्णय लेने की उनकी क्षमता बढाई जा सके। (राष्ट्रीय महिला आयोग वार्षिक रिपोर्ट, 2021)।

लैंगिक समानता:

सामान्यतया लैंगिक समानता का आशय सभी लिंगों के व्यक्तियों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक आदि क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधनों, उचित अवसरों और वैध अधिकारों तक समान पहुँच उपलब्ध होने से है। इसका लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह को समाप्त करना; और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पुरुष और महिलाएँ निर्णय लेने, नेतृत्व की भूमिकाओं और सामाजिक विकास में समान रूप से भाग ले सकें (संयुक्त राष्ट्र महिला, 2024)। आज लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि सतत विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त भी है। व्यावहारिक दृष्टि से, इसका उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य रोजगार और आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, निर्णयशीलता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानताओं को कम करना है, जिससे महिलाएं अपने सामर्थ्य का अधिकाधिक उपयोग कर समाज के उन्नयन में सार्थक योगदान दे सकें।

सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख ग्रामीण विकास योजनायें:

स्वयं सहायता समूह योजना:

स्वयं-सहायता समूह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो आम समस्याओं को हल करने, अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने और एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आते हैं। स्वयं-सहायता समूह सदस्यों को अपनी बचत को इकट्ठा करने, ऋण सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने, तथा आय-उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये समूह महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने और सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से खुद को सशक्त बनाने में भी मदद करते हैं। ये समूह मुख्य रूप से समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूहों का कामकाज 1970 में स्व-रोजगार महिला संघ (SEWA) के गठन के साथ शुरू हुआ। 1992 में अपनी स्थापना के बाद से, नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस पहल बन गया है। (नाबार्ड, 2021)

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अवधारणा चटगाँव विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज है, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा "जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का" के सिद्धांत पर आधारित है। यह विशेष रूप से गरीबों के लिए काम करती है। इस अवधारणा के पीछे मूल आदर्श "साझा लक्ष्य के लिए पारस्परिक सहायता के माध्यम से स्वयं सहायता" है। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत और गठन 1975 में बांग्लादेश हुआ था। भारत में नाबार्ड की शुरुआत 1986-87 में हुई, लेकिन वास्तविक प्रयास 1991-92 के बाद स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने से शुरू हुआ। (शर्मा, 2016)

स्वयं सहायता समूह (SHG) व्यक्तिगत सदस्यों का एक छोटा समूह है जो स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और एक साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संघ बनाते हैं। इसके सदस्य गरीब होते हैं और अधिकतर वंचित समाज से आते हैं। अधिकांश मामलों में, स्वयं सहायता समूह (SHG) का गठन एक-दूसरे को जानने वाले और एक ही गाँव या पड़ोस से आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (SHG) आकार में छोटे होते हैं, जिनकी सदस्य संख्या 10 से 20 तक होती है, ये समरूप होते हैं और इनमें कुछ पूर्व-समूह बाध्यकारी कारक होते हैं। ये समूह बचत से शुरू होते हैं, ऋण देने से नहीं; फिर समूह प्रति सदस्य अपनी बचत, ऋण की अधिकतम राशि, ऋण स्वीकृति में गारंटी तंत्र और अन्य सभी संबंधित मामलों में उपयोग करता है। (यादव, 2017)

स्वयं सहायता समूहों के मूल सिद्धांत हैं समूह दृष्टिकोण, आपसी विश्वास, छोटे और प्रबंधनीय समूहों का संगठन, समूह एकजुटता, मितव्ययिता की भावना, मांग आधारित ऋण, संपार्श्विक मुक्त, महिला अनुकूल ऋण, पुनर्भुगतान में सहकर्मी समूह का दबाव, कौशल प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण। (डॉली. 2018)। स्वयं सहायता समूह आंदोलन का अर्थ अब केवल वित्तीय मध्यस्थता के प्रावधान से कहीं अधिक हो गया है। यह गरीब परिवारों को निरंतर वित्तीय समावेशन और मुख्यधारा में लाने के साधन के रूप में सबसे अधिक आशाजनक है, साथ ही यह व्यापक अनुप्रयोग के साथ एक विकास मॉडल भी है।

स्वयं सहायता समूह आंदोलन का मूल उद्देश्य वंचितों, विशेषकर महिलाओं, की क्षमता का विकास करना और उन्हें संगठित करना है ताकि वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साथ ही अपने जीवन को प्रभावित करने वाली अन्य बाहरी शक्तियों का सामना कर सकें। मूलतः, यह उद्यमिता विकास, बेहतर आय, स्व-रोज़गार हेतु उन्नत कौशल और निवेश, आत्मनिर्भरता, आत्म-पहचान, दृढ़ता, बचत की आदतें, नेतृत्व, सामुदायिक विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से समाज को आधुनिक दुनिया की ओर ले जाता है। यह सभी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने और कमजोर वर्ग को राष्ट्र का जागरूक और ज़िम्मेदार वर्ग बनाने का प्रयास करता है। यह सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर आवास और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने, गरीबों को विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाने, गरीबी उन्मूलन, अभावों को दूर करने, उनकी छिपी हुई क्षमता को साकार करने और

स्वयं सहायता के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर भी ज़ोर देता है। आजकल, यह आंदोलन ग्रामीण लोगों को प्रभावित करता है और विभिन्न आय सृजन गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बदलता है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) में लाने के लिए भारत सरकार की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत एसएचजी का गठन किया जाता है। (गोगोई और गोगोई, 2016)

छत्तीसगढ़ महिला कोष:

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई ग्रामीण विकास योजनाओं में 'छत्तीसगढ़ महिला कोष' प्रमुख ग्रामीण विकास योजना है। इस योजना का प्रारंभ दिनांक 2 फरवरी 2002 को छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के रूप की गई थी। प्रारंभ में इस योजना को इंदिरा गाँधी महिला कोष कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था जिसे वर्ष 2004 में परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ महिला कोष कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को गति देने के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना तथा अन्य जरूरी संसाधनों को उपलब्ध करवाना है। साथ ही इस योजना के अन्य उद्देश्य महिलाओं के मौजूदा रोजगार को और अधिक गति देना, नियोजन के अवसरों की अभिवृद्धि करना, रोजगार के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना, परिसंपत्ति को सृजित करना, तथा विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को ऋण की उपलब्धता का उचित प्रबंध करना आदि हैं (झा एवं कुमुदनी, 2019)।

छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत् वर्ष 2009-10 में सक्षम योजना को जोड़ा गया जिसका उद्देश्य उन महिलाओं को आजीविका उपलब्ध करवाना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, वे महिलाएं जो तलाकशुदा हों तथा, इस योजना के अंतर्गत् उन अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया जिनकी आयु 35 से 45 वर्ष हो चुकी हो तथा उनका विवाह न हुआ हो। साथ ही इस योजना में उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जो किसी भी तरह के शोषण, जैसे- परित्यक्ता, एच आई वी संक्रमित, तथा यौन उत्पीड़न का शिकार हों। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को अधिकतम दो लाख रूपये तक की धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत् लाभार्थियों को तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है (छत्तीसगढ़ शासन, 2025)।

महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक उन्नति के रास्ते पर ले जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 15 अगस्त 2003 को महिला कोष योजना के अंतर्गत् महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण की व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत् उन महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जो कम से कम एक वर्ष से स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों, समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 के बीच होनी चाहिए, समूह का बैंक खाता किसी राष्ट्रीय बैंक में संचालित हो, तथा समूह के सदस्यों में ऋण वापसी की प्रवृति हो। (पटेल, 2018)। स्वयं सहायता समूह योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को पहली बार दो लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है तथा इस ऋण की अदायगी के बाद पुनः समूह के सदस्य को अधिकतम 6 लाख तक ऋण प्रदान किया जा सकता है। रायपुर जिले में महिला कोष के लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु सक्षम योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 1000 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

भारत में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल के कारण, लाखों महिलाओं के लिए खाना पकाने का दैनिक कार्य एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा रहा है। कुछ वर्षों पूर्व तक भारत में खाना पकाने के ईंधन के रूप में पारंपरिक बायोमास ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, सूखा गोबर, कृषि अपशिष्ट, लकड़ी का कोयला आदि का इस्तेमाल करते थे। इन ईंधनों से निकलने वाले जहरीले धुएँ में कणिकामय पदार्थ और हानिकारक रसायन होते हैं जो आँखों और फेफड़ों के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे निमोनिया और क्रोनिक

ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग जैसी तीव्र और दीर्घकालिक श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं। धुएँ में फेफड़ों के कैंसर का कारण बनने वाले कैंसरकारी तत्व भी होते हैं। महिलाओं के अलावा, बच्चे भी इस हानिकारक रसोई के धुएँ से पीड़ित थे। (भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2020)।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रारंभ करने से पूर्ण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण घर में हुआ था जहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं थीं और सिर्फ़ एक दरवाज़ा था। मेरी माँ खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करती थीं। कभी-कभी, धुआँ इतना घना होता था कि हम अपनी माँ को देख भी नहीं पाते थे जब वह हमें खाना परोसती थीं। मैं बचपन में इसी तरह खाना खाता था। इसलिए, मैंने इन माँओं और बच्चों के दर्द को अनुभव किया है और उसे जिया है। मैं इन माताओं को इस कष्टदायक जीवन से मुक्त करना चाहता हूँ। और इसीलिए हमने 8 करोड़ परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।" (प्रधानमंत्री कार्यालय, 2016)।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया था। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को शुरुआत में 31 मार्च 2019 तक 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की वयस्क महिला सदस्यों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया था। इस योजना के लिए 8000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत् देश की गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना को पुनः वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 (PMUY2) के नाम से प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई में कमी लाना, महिलाओं को रसोई में धुएं से मुक्ति दिलाना, खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईधन उपलब्ध करवाना, वायु प्रदुषण को नियंत्रित करना, तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना आदि है (त्रिपाठी एवं सिंह , 2023)।

PMUY उन सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक अद्भुत योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रही हैं। वर्तमान में, भारत में सभी ग्रामीण महिलाएँ PMUY योजना के माध्यम से प्राप्त LPG कनेक्शनों से बहुत खुश हैं। यह वास्तव में लाभार्थियों को गोबर के उपले और लकड़ी से LPG में अपना जीवन बदलने में मदद कर रही है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को दो तरह से मदद करती है: उनके स्वास्थ्य की रक्षा और बायोमास से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके राष्ट्र की रक्षा। इसका कारण यह है कि बायोमास के अकुशल दहन के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे के कारण ग्रामीण महिलाओं द्वारा दवा पर किया जाने वाला खर्च हमेशा LPG सिलेंडर रिफिल पर होने वाले खर्च से कम होता है। आजकल ग्रामीण और दूरदराज के गाँवों में खाना पकाने की शैली बायोमास से लेकर LPG तक भिन्न होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की शैली LPG, माइक्रोवेव और इंडक्शन प्लेट के रूप में होती है (सेलवम, ऐट. अल. 2022)। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके जीवन स्तर के सुधार में मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण है।

रायपुर प्रशासन द्वारा जारी दिनांक 09 अप्रैल 2018 के अपने आदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये जिसमें कहा गया कि राज्य के हितग्राहियों को डबल बर्नर गैस स्टोव तथा प्रथम रिफिल सिलेंडर मात्र 200/- रूपये के मूल्य पर उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना का लाभ के लिए राज्य के वे परिवार पात्र होंगे जो अन्त्योदय अन्न योजना के गुलाबी राशनकार्ड धारी हों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही हों, राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार तथा राज्य के वनविभाग द्वारा घोषित वनवासी परिवार आदि (छत्तीसगढ़ शासन, 2018)। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत् छत्तीसगढ़ में जून 2024 तक कुल 36 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ के सिर्फ रायपुर जिले में इस योजना के लाभार्थी महिलाओं की कुल संख्या 165918 है (राय, 2024)। महिला लाभार्थियों की प्रदर्शित कुल संख्या उज्जवला योजना के अंतर्गत् दो चरणों में प्रदान किये गये गैस कनेक्शन के आधार पर प्रदर्शित की गई है।

महतारी वंदन योजना:

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य के ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से अनेकों ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रस्तावित एवं क्रियान्वित किया। ऐसी ही ग्रामीण विकास योजनाओं में महतारी वंदन योजना का नाम भी प्रमुखता से आता है। महतारी वंदन योजना का शुभारम्भ 1 मार्च 2024 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत् उन महिलाओं पर ध्यान केंद्रीत किया जाता है जो महिलाएं विवाहित हैं तथा जिन महिलानो पर परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी है, जिन महिलाओं को अपने घर का देखभाल करना है, जिन महिलाओं पर घर के सदस्यों के खान-पान का प्रबंध करना पड़ता है तथा जिन महिलाओं को अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो महिलाएं कुछ हद तक अर्थोपाजन करती हैं उनके द्वारा उपार्जित किये हुए धन का एक बड़ा हिस्सा परिवार एवं बच्चों के भोजन एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान में तथा परिवार के सदस्यों, मुख्यतः बच्चों के जीवन स्तर को उपर उठाने में व्यय होता है। महिलाओं में एक गुण यह भी होता है कि उनके अंदर बचत की भावना भी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है (छत्तीसगढ़ शासन, 2024)।

वर्ष 2020-21 में एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 करवाया गया जिसके अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य की 23.1 प्रतिशत महिलाओं में मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य की उन महिलाओं में जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के मध्य है में अनीमिया का स्तर 60.8 प्रतिशत पाया गया है तथा गर्भवती महिलाओं में यह 51.8 प्रतिशत है। (कुमार, 2020)। महिलाओं की ऐसी स्थिति देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, उनको उचित पोषण स्तर सुनिश्चित करने के लिए, समाज में महिलाओं को उचित एवं सम्मानजनक स्थान उपलब्ध करवाने के लिए, असमानता एवं भेदभाव समाप्त करने के लिए तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना को लागू करने की पहल किया। इस योजना के अंतर्गत् लाभार्थी विवाहित महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है (छत्तीसगढ़ शासन, 2024)।

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत् उन महिलाओं को योजना का लाभ लेने हेतु पात्र स्वीकार किया गया है जो महिला विवाहित हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी हो, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किये गये वर्ष की एक जनवरी को उस विवाहित महिला की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत् उन महिलाओं को भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना गया है जो विधवा हों, तलाकशुदा हों या उनके पति ने उनको त्याग दिया हो (छत्तीसगढ़ शासन, 2024)।

गौतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिल सकता जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर की सीमा में आता हो अर्थात् कर देता हो। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी नहीं मिल सकता है जिनके परिवार का कोई सदस्य केन्द्रीय कर्मचारी हो, अथवा कोई सदस्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग का कर्मचारी हो। महतारी वंदन का लाभ वे महिलाएं भी नहीं उठा सकतीं जो या जिनके घर का कोई सदस्य वर्तमान में या भूतकाल में सांसद या विधायक हो/रहा हो। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी नहीं मिल सकता है जिनके घर का कोई सदस्य केद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत बोर्ड, मंडल या निगम का वर्तमान या भूतपूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो।

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत् पात्र प्रत्येक महिला को उसकी पात्रता की अवधि से प्रत्येक माह एक हजार रूपये उसके स्वयं के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रेषित कर दिया जाता है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत् यह भी प्रावधान है कि यदि कोई ऐसी महिला है जो किसी अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत् सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से 1000 रूपये से कम लाभ ले रही है उसे उसकी पेंशन में अतिरिक्त राशि महतारी वंदन योजना से जोडकर 1000 रूपये की मासिक राशि प्रदान की जाएगी। (महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़. 2021)।

Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.357 Peer Reviewed Journal

https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2508I8VXIIIP0005

e-ISSN No. 2394-8426
Monthly Issue AUG-2025
Issue–VIII, Volume–XIII

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए विभिन्न माध्यमों को अपनाया गया है। जैसे, महतारी वंदन योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर वहाँ से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं जिसके लिए उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से एक लॉग इन आईडी बनानी होगी। इसके अलावां महिलाएं अपने ग्राम पंचायक में जाकर अपने ग्राम पंचायत सचिव की लॉग इन आईडी से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। महतारी वंदन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के एक अन्य तरीका यह भी है कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिला महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकती है। आवेदक स्वयं भी अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए उन्हें सम्बंधित आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करना होगा। इस योजना से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि नगरीय क्षेत्रों में आने वाले वार्डों में नगर निकायों के माध्यम से वार्ड प्रभारी नियुक्त किये जायेंगे जिनको लॉग इन आईडी प्रदान की जाएगी तथा इसी के माध्यम से वे योजना का लाभ लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। गौतलब है कि महतारी वंदन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं के योगदान का मूल्याङ्कन करना।

2. छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में लागू विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:

यह अध्ययन विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है, जिसमें सर्वेक्षण आधारित प्राथमिक डाटा स्रोतों का उपयोग कर रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 100 महिला उत्तरदाताओं का चयन कर साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं—जैसे छत्तीसगढ़ महिला कोष, मुख्यमंत्री शिशु शक्ति योजना, मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार योजना, महिला समृद्धि बाजार योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं महिला स्वयं सहायता समूह आदि—के प्रभावों का महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर प्रभावों का मूल्याङ्कन करना है। विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण विकास योजनाएँ न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि उनकी निर्णय क्षमता, नेतृत्व विकास एवं सामाजिक चेतना में भी वृद्धि कर रही हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि इन योजनाओं का संचालन अधिकाधिक पारदर्शिता एवं सहभागिता के साथ किया जाए, तो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएँ राजनीति में सशक्त भूमिका निभा सकती हैं।

सर्वेक्षण और प्रश्नावली के आधार पर उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों की व्याख्या और विश्लेषण:

तालिका. 1 रायपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं को शासकीय योजनाओं को लागू करने वाली सरकारों की जानकारी का अध्ययन:

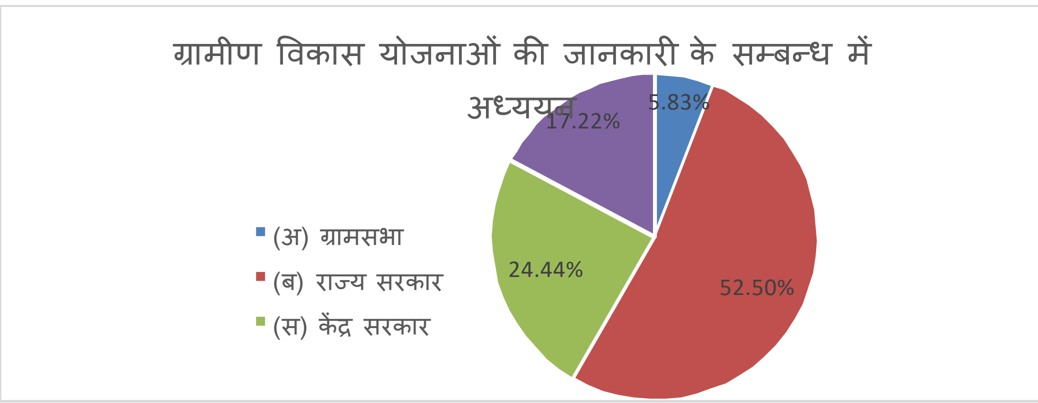

https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2508I8VXIIIP0005
e-ISSN No. 2394-8426
Monthly Issue
AUG-2025
Issue–VIII, Volume–XIII

तालिका.1 के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को इन ग्रामीण योजनाओं को लागू करने वाली सरकारों की जानकारी है या नहीं। जब चयनित महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा तो गया तो 52.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा लागु योजनाओं की जानकारी होने पर अपनी सहमति दी, किन्तु उसके सापेक्ष केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और ग्राम सभा से सम्बद्ध योजनाओं की जानकारी कम उत्तरदाताओं को थी और कुछ उत्तरदाताओं को किसी भी योजना की जानकारी नहीं थी; अध्ययन से प्रतीत होता है कि शासकीय योजनाओं के प्रति सम्बंधित लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए अधिक प्रभावी प्रचार अभियानों की आवश्यकता है।

तालिका. 2 सरकार की कार्यशैली के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का अध्ययन

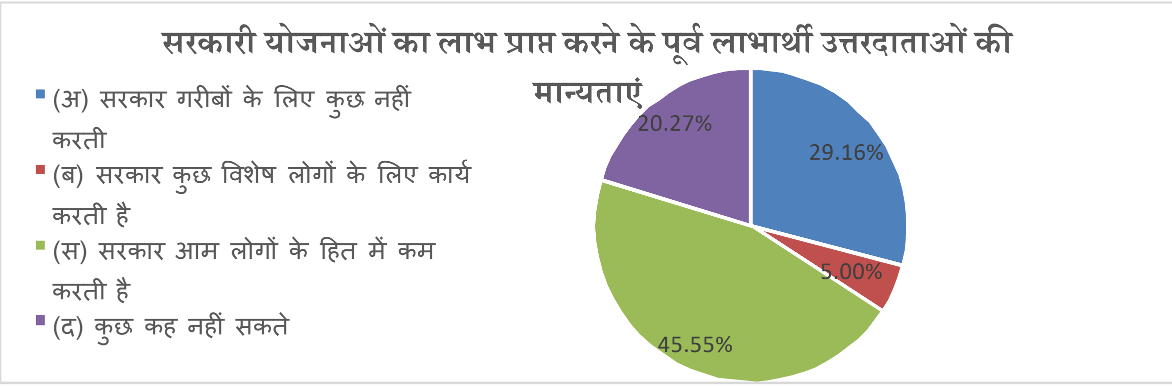

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेकों योजनायें लागू की गई हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ मिलने से पहले सरकार के बारे में उत्तरदाताओं की राय पूछी गई तो यह पाया गया कि लगभग 29.16% महिलाओं का मानना था कि सरकार गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करती जबकि 5.00% महिलाओं ने कहा कि सरकार कुछ विशेष लोगों के लिए कार्य करती है। ऐसी महिलाएं जिनका ये मानना था कि सरकार आम लोगों के हित में काम करती है ऐसी महिलाओं का प्रतिशत 45.55 था। लेकिन 20.27% महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने इस प्रश्न पर अपनी कोई राय नहीं रखी। यानि कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने से पहले चयनित शोध क्षेत्र में सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गये फैसलों को लेकर भ्रांतियां थीं कि सरकार आम लोगों की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाती।

तालिका. 3 सरकार की कार्यशैली के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के परिवर्तित दृष्टिकोण का अध्ययन

दूसरी तरफ योजनाओं का लाभ मिलने के पश्चात चयनित क्षेत्र की महिलाओं के विचारों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद जब महिलाओं के विचारों में आये परिवर्तन का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि 70% महिलाओं का यह मानना था कि सरकार आम जनता के हित में काम करती है। लगभग 17% महिलाओं का विचार था कि सरकार चुनाव जितने के लिए इन योजनाओं को लागू करती है जबकि, 13% महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। अतः विश्लेषण से यह स्पष्ट

होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ प्राप्ति से पूर्व तथा पश्चात सरकार के प्रति महिलाओं के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है, साथ ही उनकी राजनीतिक समझ और रूचि बढ़ी है। उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के बाद चयनित क्षेत्र की महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है।

तालिका: 4 ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के पूर्व उत्तरदाताओं के मतदान व्यवहार का अध्ययन

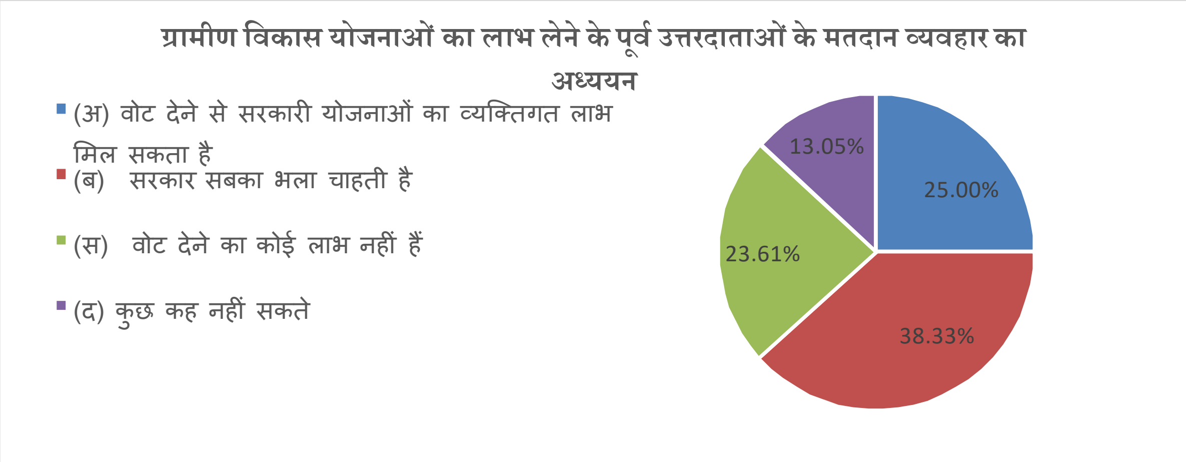

जब शोध के लिए चयनित महिलाओं से पूछा गया कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के पूर्व चुनावों में वोट देने के प्रति उनके क्या विचार थे तो लगभग 25% महिलाओं का मानना था कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही चुनी हुई सरकार द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ वाले कार्य करवा सकती है। ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 38.33% थी जो ये मानते थे कि सरकार सभी की भलाई के लिए योजनायें लाती है। ऐसे उत्तरदाता जो मानते थे कि वोट देने से कोई लाभ नहीं है, उनकी संख्या 23.61% थी। जबकि 13.05% उत्तरदाता ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी कोई राय नहीं दिया। उत्तरदाताओं के मत से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के पूर्व अधिकतर लोग वोट देने के सकारात्मक लाभ से परिचित नहीं थे। ग्राफ के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित क्षेत्र की महिलाओं में ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने से पूर्व अपने राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता में ज्यादा विकास नहीं हुआ था। चुनावों में अपने मताधिकार के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रिया मिली-जुली थी।

तालिका. 5 ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के पश्चात् उत्तरदाताओं के मतदान व्यवहार का अध्ययन

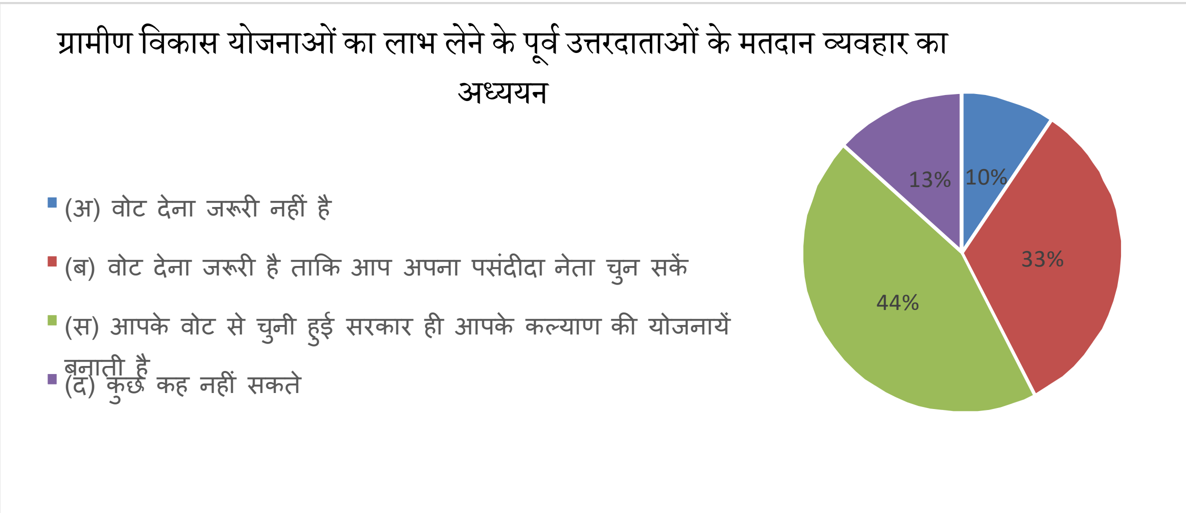

Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.357
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2508I8VXIIIP0005
e-ISSN No. 2394-8426
Monthly Issue
AUG-2025
Issue–VIII, Volume–XIII

जब शोध के लिए चयनित महिलाओं से पूछा गया कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के पश्चात् चु नावों में वोट देने के प्रति उनके विचारों में क्या परिवर्तन आया है?तो लगभग 10% महिलाओं का मानना था कि वोट देना जरुरी नहीं है। ऐसी महिलाएं जो मानती थीं वोट देने से ही पसंदीदा नेता चुना जा सकता है, उनकी संख्या लगभग 33% थी। 44% महिलाओं का विचार था की जनता के वोट द्वारा चुनी हुई सरकर ही जनता के कल्याण के लिए योजनायें बनाती है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उनकी संख्य13 % थी। उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से स्पस्ट है कि लगभग 77% लोग ऐसे थे जो ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद चुनावों के प्रति विचारों में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया।

तालिका.6 ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के पश्चात महिलाओं की शिक्षा में सुधार का अध्ययन

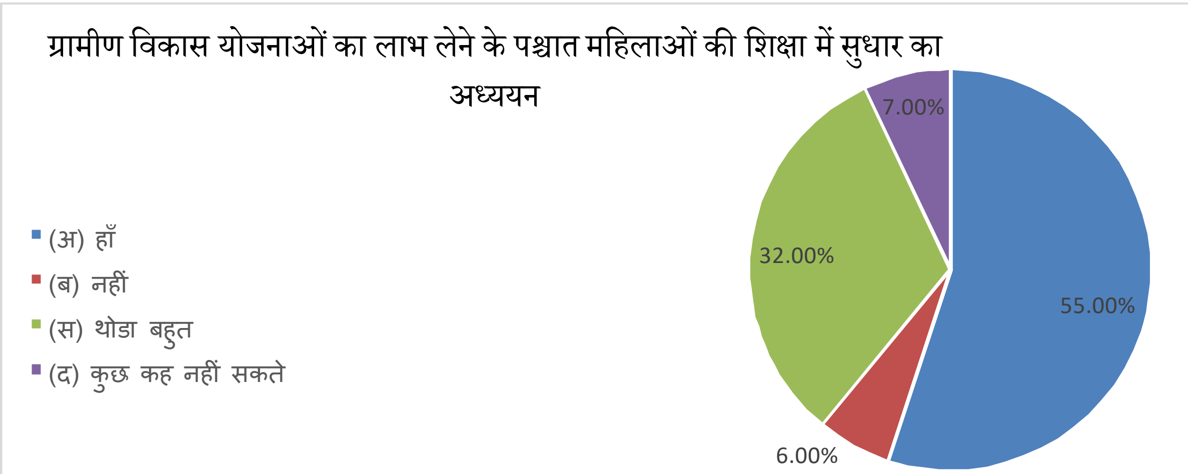

उपर्युक्त ग्राफ के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के पश्चात महिलाओं की शिक्षा में हुए विकास का अध्ययन किया गया है। महिलाओं की शिक्षा में हुए विकास को जानने के लिए जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद महिलाओं की शिक्षा में विकास हुआ है तो 55% महिलाओं का जवाब हाँ में था। ऐसी महिलाएं जिन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं से महिलाओं की शिक्षा में कोई सुधार नहीं माना उनकी संख्या मात्र 6 % थी। ऐसी महिलाओं ने जिनका मानना था कि ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद महिलाओं की शिक्षा में थोडा बहुत सुधार हुआ है उनकी संख्या 32% थी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया उनकी संख्या 7% थी। उपर्युक्त ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद महिलाओं की शिक्षा में सकारात्मक सुधार हुआ। इसका प्रमुक कारण यह रहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई तथा शिक्षा की ओर ध्यान दे पाई।

तालिका. 7 ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार का अद्ययन

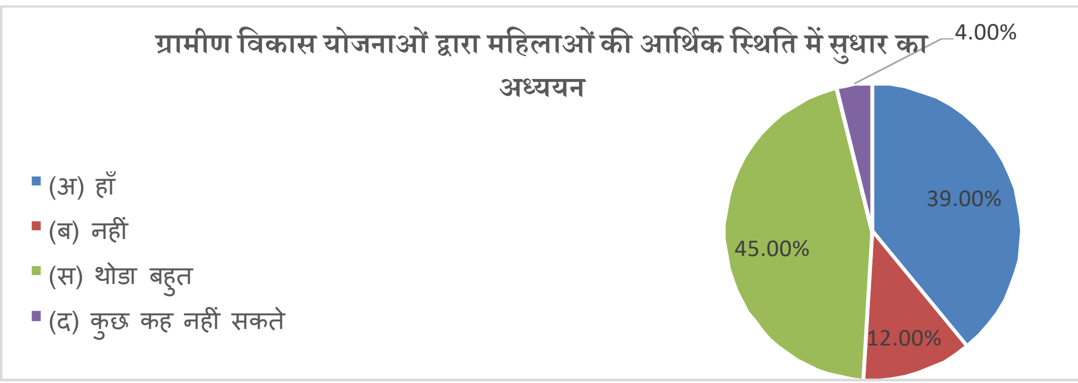

Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.357 Peer Reviewed Journal

https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2508I8VXIIIP0005

e-ISSN No. 2394-8426
Monthly Issue AUG-2025
Issue–VIII, Volume–XIII

इस तालिका के माध्यम से चयनित शोध क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक सुधार में ग्रामीण विकास योजनाओं के योगदान को रेखानित किया गया है। जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं ने आपलोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है? तो 39% महिलाओं का जवाब था कि हाँ, योजनाओं ने उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं को महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में कोई भूमिका स्वीकार नहीं की उनकी संख्या 12% थी। लगभग 45% महिलाएं ऐसी थीं जिनका मानना था कि ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक स्थिति में थोडा बहुत सुधार हुआ है। 4% महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंन कहा कि उनकी आर्थिक उन्नति में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका के बारे में वो कुछ कह नहीं सकतीं यानि कि वो इस प्रश्न का उत्तर देने से तटस्थ रहीं।

तालिका. 8 ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने में सुलभता का अध्ययन

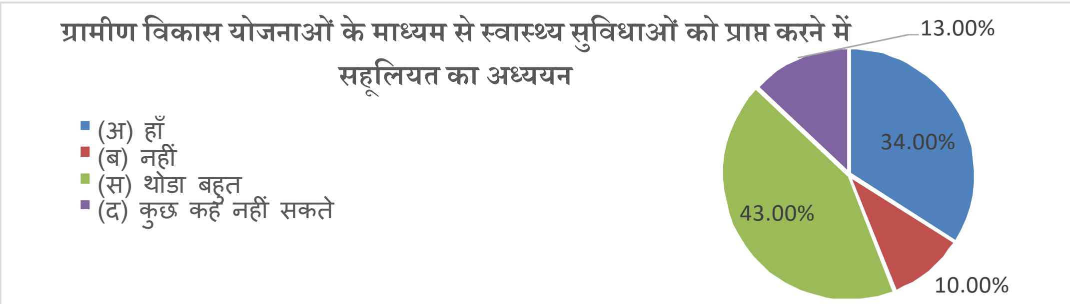

उपर्युक्त तालिका के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है की ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में हुए सुधार पल महिलाओं का क्या विचार है? इसके लिए जैम महिलाओं से पूछा गया कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद आपलोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करना सुगम हुआ है? तो 34% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया। 10 % महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने ना में जवाब दिया यानि कि उन्हों नहीं लगता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं से महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएँ लेने में सहूलित हुई है। ऐसी महिलाएं जिनका मानना था कि थोडा बहुत सुधार हुआ है उनकी संख्या 43% थी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस प्रश्न पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी यानि कि उनका कहना था कि वो कुछ कह नहीं सकतीं उनकी संख्या 13% रही।

तालिका. 9 महिलाओं के शोषण में कमी में ग्रामीण विकास योजनाओं का महत्त्व

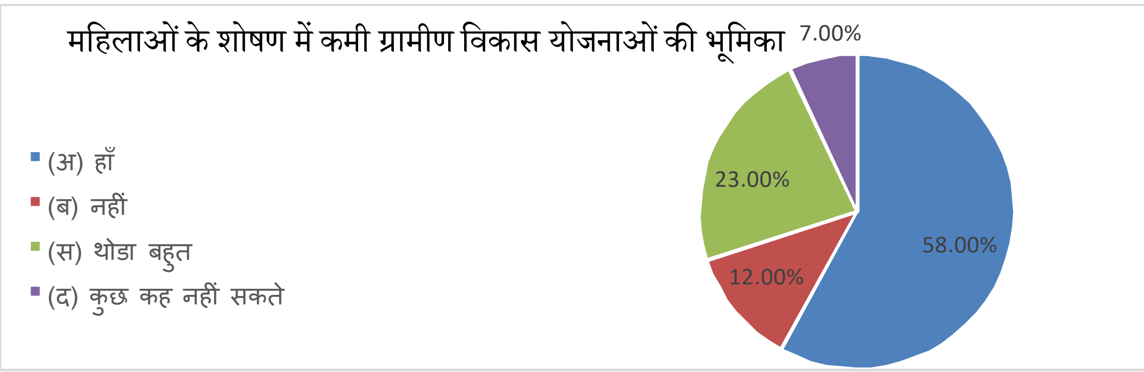

तालिका.9 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या ग्रामीण विकास योजनों से महिलाओं के शोषण में कमी आई है? इस प्रश्न के जवाब में 58% महिलाओं ने कहा कि हाँ ग्रामीण विकास योजनाओं ने उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया हा जिससे उनके शोषण में कमी आई है। 7% महिलाओं का मानना था कि ग्रामीण विकास योजनाओं ने महिलाओं के शोषण में कोई कमी नहीं लाया है। महिलाओं के शोषण में थोडा बहुत कमी ग्रामीण विकास योजनाओं के कारण हुई है ऐसा मानने वाली कुल 23% महिलाएं थीं। 7% महिलाओं ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि वो कुछ कह नहीं सकतीं।

तालिका. 10 ग्रामीण विकास योजनाओं द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार का अध्ययन

Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.357
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2508I8VXIIIP0005
e-ISSN No. 2394-8426
Monthly Issue
AUG-2025
Issue–VIII, Volume–XIII

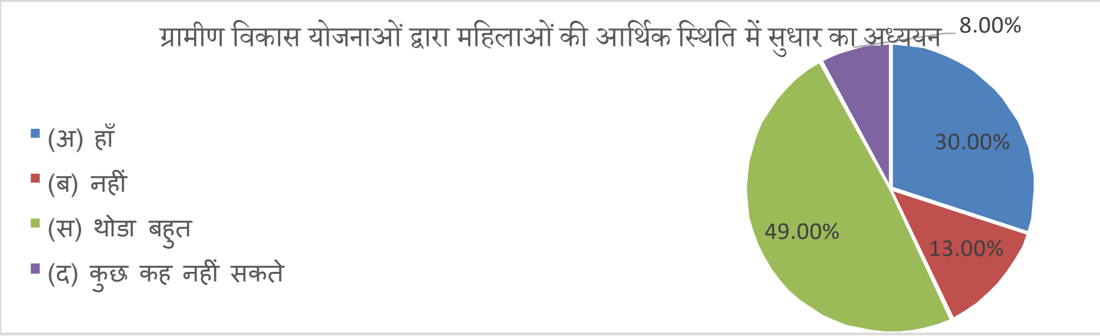

तालिका. 10 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है? इस प्रश्न के जवाब में 30% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया तथा माना कि ग्रामीण विकास योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा है। ऐसी महिलाओं ने जिनका मानना था कि ग्रामीण विकास योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया है, उनकी संख्या 13% थी। लगभग 49% महिलाओं का विचार था की ग्रामीण विकास योजनाओं ने महिलाओं की स्थिति को थोडा बहुत सुधरा है। लगभग 8% महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने इस प्रश्न पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया।

तालिका. 11 ग्रामीण विकास योजनाओं द्वारा महिलाओं के सम्मान में वृद्धि का अध्ययन

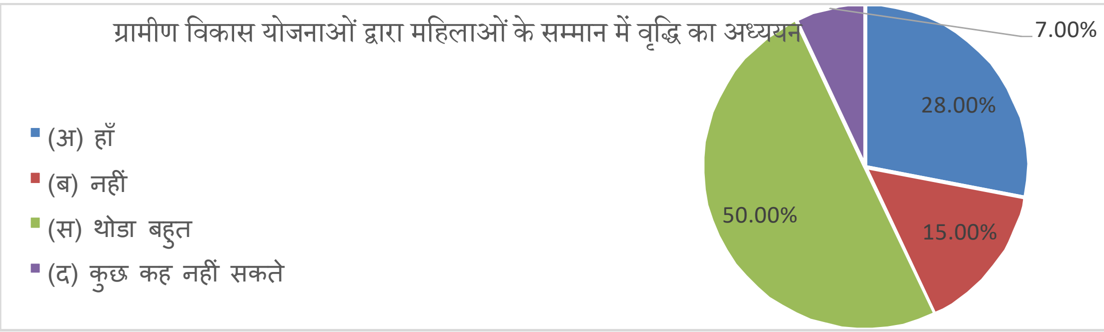

यह जाने के लिए कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है? ऐसी महिलाएं जिनका जवाब हाँ में था उनकी संख्या 28% थी।15% महिलाओं का मानना था कि ग्रामीण विकास विकास योजनाओ से जुड़ने के बाद भी उनके सामाजिक सम्मान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसी महिलाएं जिनका मानना था कि ग्रामीण विकास योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में थोडा बहुत परिवर्तन किया है उनकी संख्या 50% थी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस प्रश्न के जवाब में कोई उत्तर नहीं दिया उनका प्रतिशत 7% था।

तालिका. 12 ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने से पूर्व कर्ज लेने की जरूरत का अध्ययन

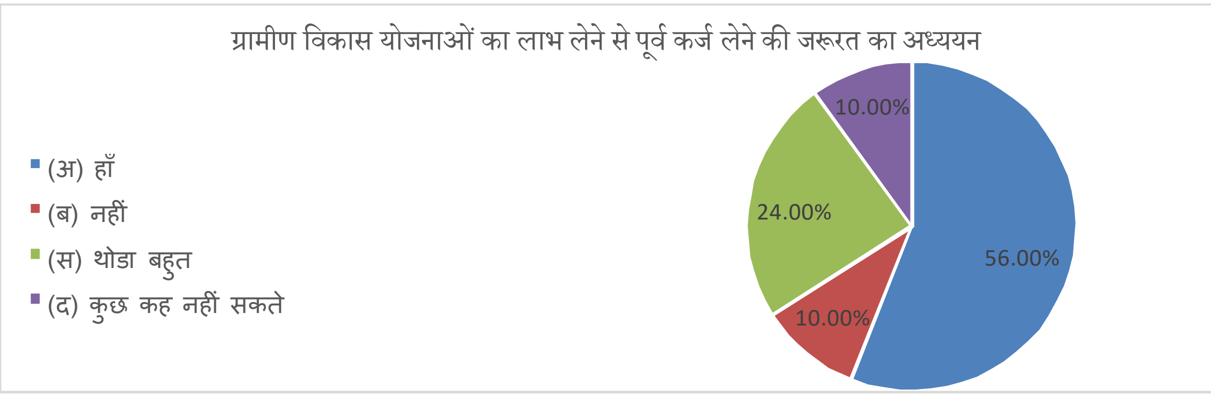

ग्राफ के माध्यम से रायपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने से पूर्व कर्ज लेने की जरूरत को दर्शाया गया है। जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने से पूर्व उनको बैंक या साहूकार आदि से कर्ज लेना पड़ता था? तो 56% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कहा कि थोडा बहुत कर्ज लेना पड़ता था उनकी संख्या लगभग 24% थी। जिन महिलाओं ने ना में जवाब दिया उनकी संख्या लगभग 10% तथा जिन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया उनकी संख्या भी लगभग 10% ही थी। यानि की ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने से पूर्व रायपुर जिले की लगभग 80% महिलाओं को कर्ज लेना पड़ता था।

तालिका.13 ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के बाद कर्ज लेने में आई कमी का अध्ययन

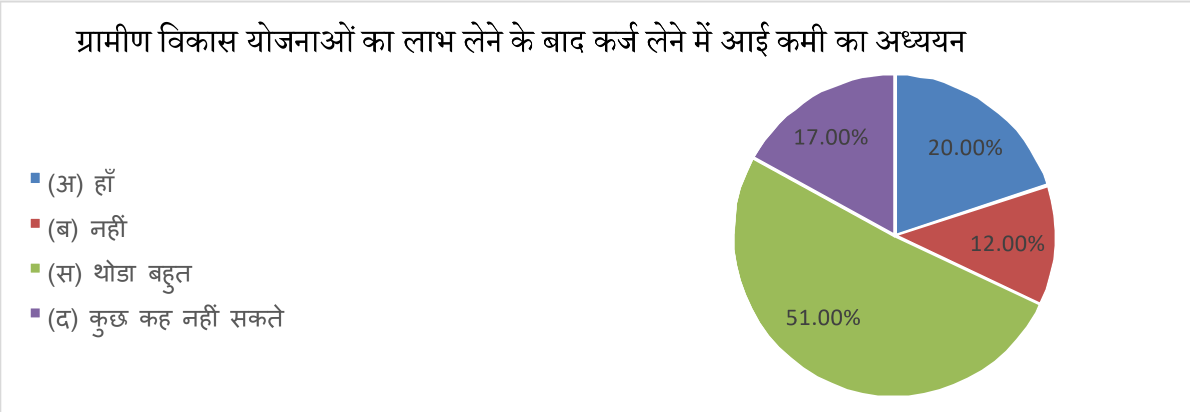

तालिका.13 के माध्यम से रायपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेनेके पश्चात् कर्ज लेने की जरूरत में आई कमी को दर्शाया गया है। जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने लेनेके पश्चात् उनको बैंक या साहूकार आदि से कर्ज लेने में कमी आई है? तो 20% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कहा कि थोडा बहुत कमी आई है था उनकी संख्या लगभग 51% थी। जिन महिलाओं ने ना में जवाब दिया उनकी संख्या लगभग 12% तथा जिन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया उनकी संख्या भी लगभग 17% ही थी। यानि की ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने लेनेके पश्चात् रायपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं के कर्ज लेने में कमी तो आई है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है लगभग 70% ग्रामीण महिलाएं ही ऐसी हैं जिनकी स्थिति कुछ हद तक सुधरी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब भी सरकार को कठोर प्रयास करने होंगे।

तालिका.14 ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के बाद लाभार्थियों के जीवन स्तर में आये परिवर्तन का अध्ययन

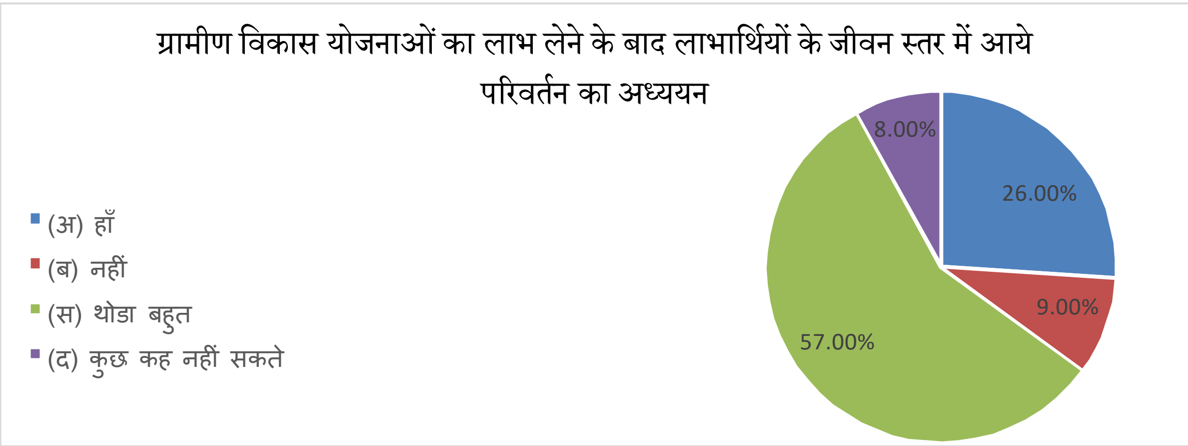

ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद रायपुर जिले की महिलाओं के जीवन स्तर में आये परिवर्तन को जानने के लिए जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लेने के बाद आपके जीवन स्तर में परिवर्तन आया है? तो लभगग 26% महिलाओं ने स्वीकार किया कि ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के द्वारा उनके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनकी संख्या कुल चयनित उत्तरदाताओं का 9% थी। लगभग 57% महिलाओं का कहना था कि ग्रामीण विकास योजनाओं से उनके जीवन स्तर में थोडा-बहुत परिवर्तन हुआ है। जिन महिलाओं ने इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया उनकी संख्या कुल चयनित उत्तरदाताओं का 8% थी। उत्तरदाताओं के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि ग्रामीण विकास योजनायें महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं किन्तु अभी भी सरकार को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का जीवन-स्तर उपर उठने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे।

तालिका. 15 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सुगमता का अध्ययन

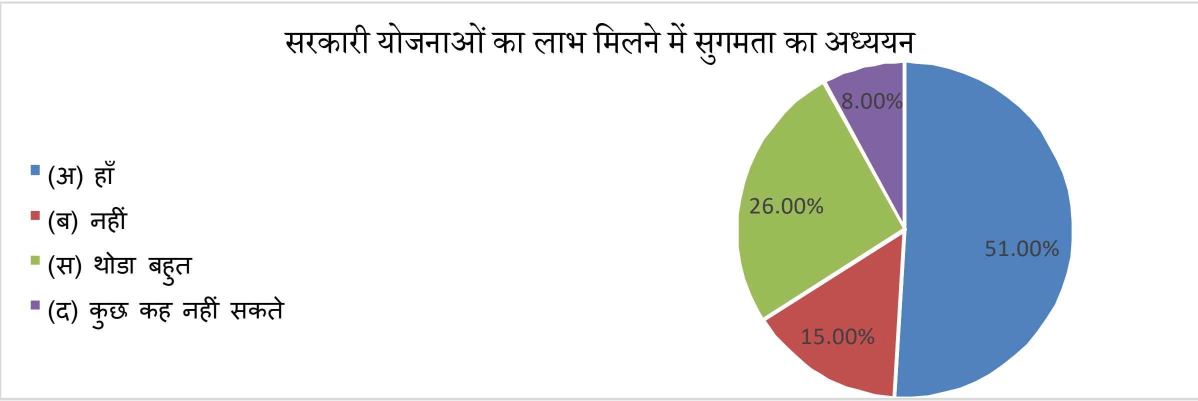

यह जानने के लिए कि क्या छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल जाता है तो 51% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया। ऐसी महिलाएं जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सुगमता से इंकार किया उनकी संख्या लगभग 15% थी। लगभग 26% महिलाएं ऐसी थीं जिहोने कहा कि सरकारी योजनायें मिलने में थोडा-बहुत सुगमता होती है अर्थात् थोड़े प्रयास के बाद उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। ऐसा संभवतः इसलिए भी हो सकता है कि महिलाओं को ग्रामीण विकास योजनाओं को प्राप्त करने के लिए अपनाये गये नियमों को लेकर कुछ समस्याएं आती हों। कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिहोने इन प्रश्नों को जवाब नहीं दिए। ऐसी महिलाओं का प्रतिशत लगभग 8% था।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

निष्कर्ष:

उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं ने रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता और योजनाओं के प्रभाव पर लाभार्थी महिलाओं के विचार जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे गये, जिनके उत्तर के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकले गये :

1. ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं से जुड़ने से पहले मात्र 45.55 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें मानती थी कि सरकार आम लोगों के हित में काम करती है किन्तु ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के बाद जब महिलाओं के विचारों में आये परिवर्तन का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि 70% महिलाओं का यह मानना था कि सरकार आम जनता के हित

में काम करती है। यानि कि योजनाओं से जुड़ने के पश्चात सरकार के प्रति महिलाओं के मन में सकारात्मक परिवर्तन देखे गये।

2. ग्रामीण विकास योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण ही अधिकतर महिलाओं का मानना था कि सरकार लोगों की भलाई के लिए योजनायें बनाती है।
3. ज्यादातर उत्तरदाता महिलाओं का मानना था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोगों के हित मे कार्य कर सकती है, अतः लोगों को अधिक संख्या में चुनाव प्रक्रिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
4. इस अध्ययन से महिलाओं की शिक्षा में हुए विकास के सकारात्मक प्रभावों में इन शासकीय योजनाओं की महती भूमिका देखि जा सकती है।अर्थात् ग्रामीण विकास योजनाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
5. इसीप्रकार जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ने के पश्चात् कर्ज लेने में कमी आई है तो ज्यादातर महिलाओं ने सकारात्मक उत्तर दिया है।

सुझाव:

1. ग्रामीण विकास योजनाओं की महिला लाभार्थियों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि को देखते हुए, इन योजनाओं का अधिक पारदर्शिता और भागीदारी के साथ विस्तार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकें, और लैंगिक विषमता उन्मूलन के लक्ष्य की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति संभव हो।
2. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ग्रामीण विकास योजनाओं और उनकी उपलब्धियों की जानकारी रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे हर माध्यम से अभियान के तहत प्रचारित और प्रसारित की जानी चाहिए।
3. ग्रामीण विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र महिला विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की जानी चाहिए, जो विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास पर काम करें।
4. ग्रामीण विकास योजनाओं की महिला लाभार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, शिक्षा और प्रचार सुविधाओं को अधिक सरल, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की राजनीतिक समझ और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
5. राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता और मानदेय आदि जैसी सहायता योजनाओं के स्थापन, सञ्चालन और आम लाभार्थियों तक पहुँच बढ़ने की आवश्यकता है।
6. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में परिवार और समाज की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान के तहत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर संवाद सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने में तथा उनके सशक्तिकरण में महती भूमिका निभाई है। शासकीय, गैर-शासकीय और सामाजिक संस्थानों को अधिक सक्रिय और संवेदनशील कार्यशैली को अपनाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक

उन्नयन किया जा सके, और उनमें राजनीतिक सहभागिता और नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ करके लैंगिक विषमता के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करके इस राष्ट्र की आधी आबादी को शीघ्रतापूर्वक न्याय दिया जा सके।

सन्दर्भ

1. बॉक, के. ई. (1963)। विकास, कार्य एवं परिवर्तन। *अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू*, 28(2), 229-237.
2. भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (2020)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2020: घरेलू वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य। नई दिल्ली: भारत सरकार.
3. छत्तीसगढ़ शासन। (2024)। महतारी वंदन योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर.
4. देसाई, ए. आर. (2004)। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र। रावत पब्लिकेशन.
5. कोठारी, आर. (1970)। भारत में राजनीति। ओरिएंटल लांगमैन.
6. कुमार, एस. (2020)। महिला स्वास्थ्य और पोषण: छत्तीसगढ़ का अध्ययन। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स.
7. पाई, एल. एवं वर्गा, एस. (1959)। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास। प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस.
8. पटेल, आर. (2018)। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास योजनाएँ। भोपाल: केंद्र भारतीय अध्ययन प्रकाशन.
9. राष्ट्रीय महिला आयोग। (2021)। भारत में महिला स्थिति और सशक्तिकरण पर वार्षिक रिपोर्ट। भारत सरकार.
10. नाबार्ड। (2021)। स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम पर वार्षिक रिपोर्ट। मुंबई: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.
11. प्रधानमंत्री कार्यालय। (2016, 1 मई)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्घाटन भाषण। नई दिल्ली: भारत सरकार.
12. सेल्वम, वी. इत्यादि. (2022)। उज्ज्वला योजना योजना का प्रभाव और ग्रामीण महिलाओं में व्यवहारिक परिवर्तन पर इसका असर। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एशियन बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट*, 13(1), 1-14.
13. शर्मा, ए. (2016)। भारत में स्वयं सहायता समूह और माइक्रोफाइनेंस। नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स.
14. यादव, एस. (2017)। ग्रामीण विकास और स्वयं सहायता समूह। नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स.
15. यूएन वूमेन एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। (2024, 16 सितंबर)। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति: जेंडर स्नैपशॉट 2024। संयुक्त राष्ट्र.
16. यूएन वूमेन। (2024)। लैंगिक समानता: अवधारणाएँ और संकेतक। महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता हेतु संयुक्त राष्ट्र संगठन. https://www.unwomen.org/en/global-issues/gender-equality
17. यूनाइटेड नेशन्स। (2023)। लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण: सतत विकास लक्ष्यों की ओर प्रगति। संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन.
18. महतो, टी. एवं कौशल, एन. (2023)। स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: एक बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण और व्यवस्थित समीक्षा। *जर्नल ऑफ एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज: पीपल एंड प्लेसेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी*, 17(6), 1511-1538. https://doi.org/10.1108/JEC-08-2022-0114
19. महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़। (2021)। महतारी वंदन योजना: पेंशन लाभ और सामाजिक सहायता कार्यक्रम। रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार.
20. रश्मि। (2020)। भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा: एक समाजशास्त्रिय अध्ययन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट*, 8(9), 3781-3785.